



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-138/2023

नगीना गंझू वगैरह

बनाम्

प्रदीप अग्रवाल वगैरह

—: आदेश :—

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी नगीना गंझू वो महेश गंझू वो जगेश्वर गंझू वो शिवनारायण गंझू सभी के पिता—स्व0 गुलू गंझू वो अनिल गंझू पिता—नगीना गंझू वो बिटू गंझू वो बिनित गंझू दोनों के पिता—महेश गंझू वो संजय गंझू पिता—शिवनारायण गंझू सभी निवासी ग्राम—बसिया, थाना—बालूमाथ, जिला—लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-11/2023 में दिनांक 12.09.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल आवेदन के अलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनों पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने—अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष द्वारा हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय—समय पर पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा गया, जिसमें कहा गया है कि वाद में प्रश्नागत भूमि मौजा—बसिया, थाना—बालूमाथ जिला—लातेहार के गत सर्वे खाता नं0-47 प्लॉट नं0-881 रकबा-0.95 एकड़ एवं हाल सर्वे खाता नं0-42 प्लॉट नं0-564 रकबा-0.95 एकड़ भूमि का खतियान आवेदकगण के पूर्वज जगजीत गंझू के नाम पर दर्ज है। पुनर्विचार हेतु दाखिल वाद के अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी के रूप में लगातार दखल कब्जा में चले आ रहे हैं। उक्त आधार पर हीं हाल सर्वे

खतियान भी अपीलार्थीगण के पूर्वज जगजीत गंझू के नाम पर अंतिम रूप से प्रकाशित है। उनके पूर्वजों के द्वारा अपने खतियानी जमीन का प्रतिवर्ष मालगुजारी सरकार को नियमित रूप से दिया गया है। पूर्वजों के मरनोपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में लगातार सरकार को लगान दिया जा रहा है। आवेदकगण भोक्ता जाति के सदस्य हैं, जो पहले अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते थे तथा वर्तमान में इन्हें वर्ष 2021 से अनुसूचित जन जाति में शामिल किया गया है। इस प्रकार इनकी भूमि सी०एन०टी० एक्ट की धारा-46 से अच्छादित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की भूमि को दिनांक 05.11.1955 से ही जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अपनी भूमि की बिक्री जिले के उपायुक्त के अनुमति से अनुसूचित जाति के सदस्यों जो उसी जिला क्षेत्र के निवासी हो के साथ भूमि की बिक्री कर सकते हैं।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(3) में यह भी प्रावधान है कि यदि धारा-46(1)(b) के प्रावधान का उल्लंघन कर जमीन का बिक्री होता है तो उसे सिविल क्रिमिनल या राजस्व न्यायालय में मान्यता नहीं दी जायेगी। विपक्षीगण के द्वारा आवेदकगण के सदस्यों के पूर्वजों से वर्ष 1990 में विक्रय पत्र संख्या-1440 के माध्यम से 0.95 एकड़ जमीन क्रय करने का दावा बिलकुल गलत है, क्योंकि विपक्षीगण अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नहीं आते हैं और न ही विक्रय पत्र के लिए उपायुक्त महोदय से अनुमति प्राप्त किया गया है। इसलिए विपक्षीगण का विक्रय पत्र निर्थक है तथा उस विक्रय पत्र को कहीं भी मान्य नहीं किया जा सकता है।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा कगेखा ठाकुर बनाम केवल सिंह के बाद में दिनांक 20.12.1968 को निर्णय पारित किया गया कि मौलिक अधिकार के अन्तर्गत हर व्यक्ति को जमीन क्रय एवं विक्रय करने का अधिकार है। कानून के तहत लगाया गया प्रतिबंध नियमसंगत नहीं है। इस फैसले के बाद अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की भूमि की बिक्री बिना अनुमति के प्रारम्भ हो गया।

संविधान में अनुच्छेद 300A दिनांक 20.06.1979 को संविधान संशोधन

6/21

के तहत जोड़ा गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की भूमि को बिक्री पर कानूनी रूप से प्रतिबंध को लागू रखा गया है।

पटना उच्च न्यायालय के Full Bench के द्वारा मथुरा सिंह बनाम तेतली डोम से संबंधित वाद के आदेश में कहा गया कि दिनांक 20.06.1979 के पूर्व कानून का उल्लंघन कर जो भी विक्रय पत्र हुआ है वह विक्रय पत्र मौलिक अधिकार के आधार पर मान्य है, लेकिन संवैधानिक संशोधन के बाद जो भी विक्रय पत्र छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 का उल्लंघन कर किया गया है, वह नजायज होगा।

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के द्वारा LPA No-708/2003 आदेश दिनांक 05.10.2004 के झारखण्ड सरकार वगैरह बनाम अर्जून दास के वाद में फैसला दिया गया कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 का उल्लंघन कर जो विक्रय पत्र निबंधित हुआ है उस विक्रय पत्र के आधार पर दाखिल खारिज भी नजायज है, जो 2004(4) JCR 535 में दर्ज है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि द्वितीय पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, बालूमाथ के समक्ष दाखिल किये गये सिमांकन के लिए वाद संख्या-49/2022-23 में अपीलार्थीगण द्वारा अंचल बालूमाथ के समक्ष सीमांकन एवं ऑनलाईन मालगुजारी रसीद द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्गत नहीं करने हेतु आपत्ति दाखिल किया गया था, लेकिन अंचल अधिकारी, बालूमाथ के द्वारा कानून से परे विपक्षीगण के तरफ आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के न्यायालय में अंचल बालूमाथ के वाद संख्या-49/2022-23 के आदेश के खिलाफ एवं दाखिल खारिज वाद संख्या-383/1990-91 के आधार पर मौजा-बसिया के गत सर्वे खाता नं0-47 प्लॉट नं0-881, रकबा-0.95ए0 जिसका हाल सर्वे खाता नं0-42 प्लॉट नं0-564 रकबा-0.95 एकड़ भूमि का मांग विपक्षी प्रदीप अग्रवाल वगैरह के नाम पर चल रहा है। उक्त दाखिल खारिज वाद को रद्द करने एवं अंचल बालूमाथ के आदेश को निरस्त करने हेतु अपील वाद संख्या-11/2023 दाखिल किया गया, किन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के द्वारा भी कानून से परे अपील को अस्वीकृत कर दिया गया।

आवेदकगण के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदकगण को

W  
X  
Y

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के वाद संख्या-49/2022-23 के पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी कि प्रदीप अग्रवाल वगैरह के द्वारा रकबा-0.95 एकड़ भूमि का क्रय उनके पूर्वज से किया गया है, क्योंकि वाद में प्रश्नागत भूमि पर आवेदकगण का हमेशा से दखल कब्जा चलते आ रहा है तथा उसी भूमि पर आवेदकगण का मकान भी अवस्थित है, जिसमें आवेदकगण सपरिवार रहते हैं। उक्त आधार पर आवेदकगण का दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद आवेदन को स्वीकृत करने एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-11/2023 में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में निबंधित केवाला की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, पंजी-॥ का सूचना आवेदन की छायाप्रति, भू-धारण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति के साथ अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रतिउत्तर में कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन गलत तथ्य पर आधारित है। इसलिए यह दाखिल-खरिज पुनरीक्षण वाद कहीं से भी निर्धारण योग्य नहीं है। इस वाद के विपक्षी के द्वारा अंचल अधिकारी, बालूमाथ के समक्ष दिनांक 06.01.2023 को ग्राम बसिया के गत सर्वे खाता संख्या-47 प्लॉट संख्या-881 रकबा-0.95ए0 का हाल सर्वे खाता संख्या-42 प्लॉट संख्या-564 कुल रकबा-0.95 एकड़ भूमि का क्षतिग्रस्त आर-मेड होने से अक्सर आवेदक एवं चौहदीदार से बिना मतलब का झगड़ा-झंझट होने का अंदेशा बना रहता था, जिसके कारण निजी अमीन के माध्यम से भूमि का सीमांकन के लिए आवेदन समर्पित किया गया था। इसी दौरान गांव के नगीना गंझू अनिल गंझू, बिट्ठू गंझू, संजय गंझू के द्वारा विपक्षी के साथ झगड़ा-झंझट प्रारम्भ कर दिया गया एवं नापी/सीमांकन के बदले रंगदारी की मांग की गयी। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, बालूमाथ के द्वारा एक सीमांकन वाद संख्या-49/2022-23 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर दोनों पक्षों को सुनने एवं दाखिल कागजात के आधार पर दिनांक 10.06.2023 को सीमांकन के लिए आदेश पारित किया गया। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा दिनांक 10.06.2023 को पारित आदेश में कहीं भी नामन्तरण/दाखिल-खारिज से संबंधित नहीं है। यह वाद सिर्फ नापी/सीमांकन से संबंधित है। अंचल अधिकारी, बालूमाथ के उक्त आदेश के विरुद्ध इस वाद के अपीलार्थीगण द्वारा

49  
१८।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के न्यायालय में विविध अपील वाद संख्या-11/2023 दाखिल किया गया, जिसमें सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् दिनांक 12.09.2023 को अपीलार्थीगण के अपील वाद को अस्वीकृत किया गया तथा अंचल अधिकारी, बालूमाथ के विविध वाद संख्या-49/2022-23 को बहाल रखा गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध यह दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद लाया गया है, जो बिल्कुल ही निराधार/गलत, तथ्यहीन, विधि विरुद्ध है। यदि जब वाद सीमांकन से संबंधित है तो पुनरीक्षण भी सीमांकन वाद का ही होना चाहिए दाखिल खारिज का नहीं। इस प्रकार आवेदक द्वारा दाखिल यह वाद विषय से विषयांतर का है। इसलिए आवेदकगण का दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सुनवाई योग्य नहीं है, जिसे तत्काल प्रभाव से खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, राजस्व दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाए गये।

(1) अंचल अधिकारी, बालूमाथ के विविध वाद संख्या-49/2022-23 में दिनांक 10.06.2023 के पारित आदेश के पारा-6 में अंकित किया गया है कि सी0एन0टी0 एकट 1908 के अधीन सम्मिलित एस0सी0 वर्ग के व्यक्ति का जमीन का निबंधन उपायुक्त के स्वीकृति के पश्चात् किया जाता है। चूंकि 1990 में इस भूमि का निबंधन किया गया था, तो माना जाता है कि उपायुक्त से स्वीकृति प्राप्त थी। यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो जिला अवर निबंधक द्वारा उक्त का निबंधन नहीं किया जाता। दूसरी तरफ पारा-7, 8 एवं 9 में क्रय-विक्रय की अवधि 33 वर्ष बित जाने के कारण सी0एन0टी0 एकट की धारा-71(A) Restoration of Land के लिए उपायुक्त न्यायालय या सिविल कोर्ट में वाद दायर नहीं किये जाने के कारण वाद में प्रश्नागत भूमि का खरीद-बिक्री सी0एन0टी0 एकट की धारा-46(1-b) का उल्लंघन नहीं है। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा सीटू साहू बनाम् राज्य सरकार सी0बी0 अपील नं0-2414/1999, मनसा मांझी बनाम् राज्य सरकार WP(C) No. 1225/2019 का हवाला देते हुए धारा-71(A) के तहत अपीलार्थीगण (नगीना गंडू वगै0) के दावा को खारिज किया गया तथा इस वाद के द्वितीय पक्षकार (प्रदीप अग्रवाल वगै0) के दावा एवं हक हैकियत सही माना गया।

(2) भूमि सुधार उप समार्हक, लातेहार के विविध अपील वाद संख्या-11/2023 में दिनांक 12.09.2023 को पारित आदेश में सीटू साहू बनाम् राज्य सरकार सी0बी0 अपील नं0-2414/1999, मनसा मांझी बनाम् राज्य सरकार WP(C) No. 1225/2019 के आदेश के अनुसार 30 वर्ष बित जाने के कारण सी0एन0टी0 एकट की धारा-71(A) का लाभ नहीं दिया जा सकता है। चूंकि केवाला में हाल प्लॉट दर्ज है। WP(C) No. 5617/2019 के पारा सं0-5 के अनुसार Bihar tenant's Holdings(Maintenance Of Records) Act, 1973 की धारा-14 के तहत अंचल अधिकारी को नामान्तरण आवेदन जांच कर नामान्तरण आदेश पारित करने का शक्ति प्रक्ति है। उक्त आधार पर प्रतिपक्षी का दखल कब्जा कागजात की छायाप्रति के आधार पर मानते हुए सी0एन0टी0 एकट की धारा-71(A) के तहत अपीलार्थीगण (नगीना गंझू वर्ग०) का अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है।

(3) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, के LPA NO. 708/2003 (राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् अर्जुन दास) में दिनांक 05.10.2004 के आदेश की कंडिका 21 में उल्लेखित किया गया है कि "Transfer of land by a member of scheduled tribe in favour of the petitioner in violation of the provisions of the section 46 of the CNT Act is itself illegal, null and void and the purchaser has not acquired the right, title and interest over the said land. In such circumstances even if the purchaser came in possession of the tribal land by virtue of transfer by a member of scheduled tribes in contravention of the provisions of the CNT Act, possession of such transferee cannot be recognised by any court of law. The Circle Officer can, therefore refuse to enter the name of the purchaser by deleting the name of the tribal from the revenue records or from register-II maintained by the office of the circle officer." एवं कंडिका 22 में उल्लेखित किया गया है कि "If the petitioner claims the mutation on the basis of transfer made by a member of scheduled tribe in contravention of the provisions of the Act, the circle officer has not authority to see the right or title of the parties."

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 (4A)(a) The Deputy Commissioner may, on his own motion or on an application filed before him by occupancy-riayat who is a member of the Scheduled Tribe, for annulling the transfer on the ground that the transfer was made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1), hold

*W  
X  
Y*

an inquiry in the prescribed manner to determine if the transfer has been made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1).

Provided that no such application be entertained by the Deputy Commissioner unless it is filed by the occupancy-tenant within a period of twelve years from the date of transfer of his holding or any portion.

विपक्षी द्वारा क्रय भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या-383/1990-91 में कराया गया है, जिसका अवधि बारह वर्षों से अधिक होता है तथा निबंधित केवाला को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इस निर्णय से असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बालूमाथ तथा भूमि सुधार उप समाज्वारी, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त  
लातेहार।

उपायुक्त  
लातेहार।